फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– भँवरलाल | विपक्षी :–ऊँकारलाल

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 192/22

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 13.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 6 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जताई। विपक्षी संख्या 1 से 5 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 7 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहा। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण अपनी भूमि की तारबंदी करवा कर भूमि का विकास करना चाहते हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सालेडा, पटवार हल्का सालेडा, तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 289 की आराजी नम्बर 275, 276, 277 किता 3 रकबा 0.8700 है., परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 597 की आराजी नम्बर 2391/271 किता 1 रकबा 0.2300 है. व परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या नया 310 की आराजी नम्बर 293 किता 1 रकबा 0.7600 हैक्टयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को एक दिन का वेतन प्रार्थी द्वारा अदा किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.23 17:00:07 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर